तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/4795/2005/हनुमानगढ़** **राजस्थान सरकार बनाम ओमप्रकाश वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम
01-10-2025	**एकलपीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थित** श्री शिव प्रकाश चौधरी, राजकीय अभिभाषक श्री प्रदीप नेहरा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण **निर्णय** 1– यह अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 88/03 में पारित निर्णय दिनांक 25–02–2005 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। **2–** प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 29–11–2002 द्वारा चक 6 सीडीआर के प.नं. 223/237 का किला नं. 19, 20 की 2 बीघा, प.न. 223/239 किला नं. 18 की 1 बीघा, पं.न. 228/243 किला नं. 1 से 4, 7 से 14, 17 से 24 की 16 बीघा, प.नं. 222/246 किला नं. 12, 13 की 2 बीघा, 18, 19 की 2 बीघा, 22, 23 की 2 बीघा कुल 6 बीघा व चक 6 एफटीपी के प.नं. 220/245 किला नं. 21 की 1 बीघा प.नं.219/245 किला नं. 24, 25 की 2 बीघा, 219/246 किला नं. 05 रकबा 1 बीघा व प.नं. 220/246 किला नं. 1 की 1 बीघा कुल 30 बीघा भूमि को बहक सरकार रिज्यूम कर राजस्व रिकॉर्ड में रकबा राज दर्ज करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने का आदेश प्रदान किया गया, जिसमें कुछ भूमि प्रत्यर्थीगण की भी शामिल है। जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय में धारा–96 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त कर अपील पेश की। जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–02–2005 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 29–11–2002 को अपास्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। **3–** उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। **4–** राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ अपीलीय के निर्णय एवं पत्रावली का विधिक परीक्षण करने के पश्चात उक्त निर्णय को राज्यहित के विपरीत मानते हुए अविलम्ब यह अपील तैयार करवाकर अपील प्रस्तुत की है, इसलिए धारा 5 मियाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/4795/2005/हनुमानगढ़** **राजस्थान सरकार बनाम ओमप्रकाश वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम

अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य किया जावे। विद्वान अभिभाषक का अभिकथन है कि जिला कलेक्टर (जागीर) गंगानगर के आदेश दिनांक 27–01–1971 के द्वारा रामेश्वर को 2 बीघा, लूणा को 2 बीघा एवं गणपत को 2 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था किन्तु आवंटन आदेश में रामेश्वर को 3 बीघा, लूणा को 2 बीघा 10 बिस्वा एवं गणपत को 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन अंकित किया गया। आवंटन आदेश एवं आवेदन द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि भिन्न–भिन्न हैं। इस कारण विचारण न्यायालय ने सही रूप से निर्णय पारित किया था जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करने में त्रुटि की है। पत्रावली पर इस भूमि के आवंटन का कोई प्रमाण नहीं होने से इस भूमि को रिज्यूम करने का आदेश दिनांक 29–11–2002 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ ने विधिसम्मत दिया था जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करने में त्रुटि की है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय तथा प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन किये बिना निर्णय दिया गया है। निर्णय में स्पष्ट माना गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस स्थिति में उनके द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित न कर मातहत निर्णय ही खारिज कर देना गलत व विधिविरूद्ध आदेश है। इसलिए अपील अपलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–02–2005 को निरस्त किये जाने आदेश प्रदान किया जावे।

5– जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 29–11–2002 द्वारा 30 बीघा भूमि अधिग्रहण किये जाने का आदेश पारित किया, जिसमें प्रत्यर्थीगण की भूमि चक 7 सीडीआर प.नं. 220/243 किला नम्बर 23, 24 प्रत्यर्थी के पिता को अलॉट हुई। इसी प्रकार किला नम्बर 17 से 22 की 6 बीघा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को अलॉट हुई। इसी प्रकार प.नं. 223/237 के किला नं.19, प.नं. 228/243 के किला नम्बर 2 से 4 की 3 बीघा कुल 4 बीघा प्रत्यर्थी संख्या 4 गुरूदेव सिंह को अलॉट हुई, जिसकी तमाम किश्तें जमा होने के बाद प्रत्यर्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। प्रत्यर्थीगण को विवादित भूमि रिज्यूम होने की जानकारी होते ही अपीलीय न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 29–11–2002 निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/4795/2005/हनुमानगढ़** **राजस्थान सरकार बनाम ओमप्रकाश वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम

7– राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विचारण उपरांत निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को सद्भाविक व स्वीकारोचित माना जाकर विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाता है। विचारण न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 29–11–2002 से पूर्व में किये गये आवंटनो के अभिलेख के परीक्षण उपरांत 30 बीघा भूमि बहक सरकार रिज्यूम करने का आदेश दिया गया है, जिसमें प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज भूमि भी शामिल है। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगणों को आवंटन प्रमाणित न होने, आवंटन हेतु आवेदन पत्र व आवंटन आदेश में भूमि बाबत भिन्नता होने आदि आधारों पर भूमि पुनः कब्जा राज लिया जाने का निर्णय दिया गया है। अपीलीय न्यायालय ने वस्तुस्थिति तथा अभिलेख का इस परिपेक्ष में गुणावगुण पर विवेचन किये बिना प्रत्यर्थीगणों को सुनवाई का अवसर न मिलने, आवंटन पश्चात प्रत्यर्थीगणों को खातेदारी की सनद भी जारी हो जाने तथा अब आवंटन की जांच उचित न होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया गया है। अतः हमारे अभिमत में बिना गुणावगुण पर विवेचन किये पारित उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर स्थापित रखने योग्य नहीं है। अगर उनके द्वारा प्रत्यर्थीगण को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार मातहत न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय करना माना गया है तो प्रकरण प्रतिप्रेषित कर प्रत्यर्थीगण का पक्ष सुना जाकर निर्णय किये जाने का आदेश दिया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का अवसर न मिलना परिलक्षित है। अतः हमारा सुविचारित मत है कि दोनों मातहत न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत न होकर निरस्तनीय हैं तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित योग्य है।

8– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ तथा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ के निर्णय क्रमशः दिनांक 25–2–2005 तथा 29–11–2002 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रत्यर्थीगणों को भी साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए तथ्यों व अभिलेख का गुणावगुण पर विवेचन करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य